प्रेषक,

विशेष सचिव,
नियोजन विभाग,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

पत्रांक: 2/7–243/ज०नि०प्र०/2015 दिनांक: 06 फरवरी, 2015

विषय: विकलांग जन के आधार कार्ड बनाने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अनुसचिव, विकलांग जन विकास अनुभाग–2, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या: 38/65–2–2015–72 (विविध)/2014 दिनांक 14 जनवरी, 2015 के साथ सचिव, विकलांग जन विकास विभाग, उ०प्र० शासन को सम्बोधित निदेशक, विकलांग जन विकास, उ०प्र० के संलग्न पत्र संख्या: 3963/वि०ज०वि०/यो०/2014–15 दिनांक 01 जनवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें यह अवगत कराया गया है कि "नेत्रहीन तथा हाथों से विकलांग व्यक्तियों एवं लेप्रोसी क्योर विकलांगजन के आधार कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं क्योंकि आधार कार्ड बनाने के लिये आँखों के रेटीना तथा हाथों के फिंगर प्रिन्ट को स्कैन किये जाने की आवश्यकता होती है जिसके पश्चात ही आधार कार्ड बनाये जाते हैं"।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सहायक महानिदेशक, यू०आई०डी०ए०आई० क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या: ए–11016/02/2013–आईईसी/यूआईडीएआई/एलकेओ/8538 दिनांक 20–01–2015 (प्रति संलग्न) में यह स्पष्ट किया गया है कि यू०आई०डी०ए०आई० द्वारा समस्त नॉन स्टेट रजिस्ट्रार तथा इनरोलमेन्ट एजेन्सियों को विकलांगजनों का आधार नामांकन करने हेतु दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये हैं ताकि कोई भी निवासी विकलांगता यथा लेप्रोसी अथवा अन्य कारणों से आधार नामांकन से वंचित न रह जायें।

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 1/17एम(4)/85–आ0–1/2009–12–टी०सी० दिनांक 05–12–2014 द्वारा आधार योजना के क्रियान्वयन हेतु मण्डलायुक्त को रजिस्ट्रार तथा जिलाधिकारी को संयुक्त रजिस्ट्रार नामित किया गया है। अतः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अपने स्तर से भी मण्डल/जनपद में कार्यरत समस्त इन्रोलमेन्ट एजेन्सियों तथा सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि सभी विकलांग जनों का आधार नामांकन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

पत्रांक एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप महानिदेशक, यू०आई०डी०ए०आई०, टीसी–46/वी, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010
2. निदेशक, विकलांग जन विकास, उ०प्र०, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।